संख्याः- 30 /2018/ 2006 /अड़तीस-7-2018-38नरेगा/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2018

विषयः- आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण(convergence) कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि को अभिसरण(convergence) कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके आवश्यकतानुसार पक्का खडन्जा/नाली निर्माण कार्य अभियान चलाकर कराया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-के-11033/2/2016-मनरेगा-v दिनांक 12-04-2016 के प्रस्तर-2(ix) (छायाप्रति संलग्न) में चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग एवं मनरेगा के अनुमन्य कार्यों के विषय में निम्न व्यवस्था उल्लिखित हैः-

> As far as possible, for the items permissible both under MGNREGS and FFC grants, the labour component should be met from MGNREGS and the meterial component from FFC grant. In order to avoid complications due to mixing of funds, it is suggested that such works may be done as two parts of the same project. For example, the formation of a road could be taken up under MGNREGS and its paving or black topping could be done utilizing FFC grant.

2- उपर्युक्त के अनुक्रम में यह भी अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 03-01-2014 में मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के बिन्दु - 1 प्रवर्ग-ई के उप बिन्दु (।।) के अन्तर्गत असम्बद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सडक नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों के जोडने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सडक संयोजकता उपलब्ध कराना, और ग्राम में पक्की आंतरिक सडकें या गलियों, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं के सन्निर्माण को अनुमन्य कार्य श्रेणी में रखा गया है। मनरेगा एवं राज्य वित्त/ चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वां वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत कार्यों का चयन व प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

3- अतः आपसे अपेक्षित है कि राज्य वित्त/ चतुर्थ राज्य वित्त/ 14वां वित्त आयोग एवं मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप होने की स्थिति तक आपरेशन कायाकल्प के

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।इसपर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम सभाओं में पक्का खडन्जा/नाली निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से मनरेगा की धनराशि को राज्य वित्त/चतुर्थ राज्य वित्त/14वां वित्त आयोग की धनराशि से अभिसरण(convergence) कर कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-30 /2018/2006(1)/अड़तीस-7-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11-गार्ड बुक।

आज्ञा से

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत :स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।